

प्रेस नोट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर दिनांक 22.03.2025

गैंग बनाकर गो-तस्करी का अपराध कारित करने वाले गिरोह के 03 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगाँव के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष बेलीपार द्वारा गैंगलीडर राजेश पुत्र चन्ददेव व गैंग के 02 अन्य सदस्य 1. बाढू अली, 2. वसीम अहमद के साथ मिलकर भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर गो-तस्करी जैसे जघन्य अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं गो-तस्करी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर राजेश उपरोक्त व गिरोह के अन्य 02 सदस्यों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 85/2025 धारा 2ख(I)(XI)(XVII)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं सामज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया है।

अपराध का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा गैंग बनाकर गो-तस्करी व पशुक्रूरता का अपराध कारित किया जाता है। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 322/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 109 भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया था।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 85/2025 धारा 2ख(I)(XI)(XVII)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

अपराधियों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. राजेश पुत्र चन्ददेव निवासी ग्राम कसिहार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

- i. मु0अ0सं0 322/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 109 बीएनएस थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 83/2020 धारा 307, 34 भादसं व 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश, 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
- iii. मु0अ0सं0 150/2023 धारा 323, 352, 504, 506 भादसं थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
- iv. मु0अ0सं0 163/2021 धारा 379 भादसं थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
- v. मु0अ0सं0 216/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
- vi. मु0अ0सं0 217/2022 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश, 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

- vii. मु0अ0सं0 380/2022 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)
अधिनियम थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
- viii. मु0अ0सं0 106/2024 धारा 392, 411 भादवि थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
- ix. मु0अ0सं0 151/2024 धारा 392, 411 भादवि थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
- x. मु0अ0सं0 554/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

**2. बाढू अली पुत्र आबिद शाह निवासी ग्राम अहिरौली दुबौली टोला तकिया थाना गोपालपुर जनपद
गोपालगंज बिहार**

- i. मु0अ0सं0 322/ 2024 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 109 बीएनएस थाना बेलीपार
जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 1195/ 2015 धारा 3/5ए/8 गौहत्या निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० थाना
हाटा जनपद कुशीनगर
- iii. मु0अ0सं0 322/2024 धारा 3/5A/8 गोबध अधि० व 109 बीएनएस थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
- iv. मु0अ0सं0 156/2019 धारा 3/5ए/8गौहत्या निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० थाना
तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- v. मु0अ0सं0 160/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- vi. मु0अ0सं0 273/2023 धारा 406 आईपीसी थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया
- vii. मु0अ0सं0 341/2024 धारा 110,117(2), 310(2),351(2),352 बीएनएस थाना खजनी जनपद
गोरखपुर

**3. वसीम अहमद पुत्र स्व० शकील अहमद निवासी मंडी समिति परसियापुरा सुमाली थाना गंज जनपद
रामपुर**

- i. मु0अ0सं0 322/2024 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 109 भा०न्या०सं० थाना बेलीपार